

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-326

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत की कमी

\*326. श्री डी.के. सुरेश:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश की 40 प्रतिशत आबादी को अभी भी विद्युत की कमी का सामना करना पड़ता है और/अथवा उसके पास बिजली की सुविधा नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समूची पारेषण एवं वितरण शृंखला में लीकेज है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऊर्जा की बचत करने हेतु लीकेज को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की कमी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : जी, नहीं। दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन व्यस्ततमकालीन विद्युत की मांग की क्षमता जो लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है, जो देश की चालू वर्ष 2018-19 (जुलाई, 2018 तक) के दौरान हुई लगभग 170 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है, की पूर्ति हेतु पर्याप्त से अधिक है। तथापि, देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ व्यस्ततमकालीन मांग और व्यस्ततमकालीन पूर्ति के बीच अंतर है। देश में विद्युत की पर्याप्तता के अतिरिक्त यह अंतर सामान्यतया ऐसे कारकों जैसे कि उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की बाधा और वित्तीय बाधाओं के कारण है।

भारत सरकार ने सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" भी शुरू की है। दिनांक 06 अगस्त, 2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 21.92 करोड़ घर हैं; जिनमें से 19.42 करोड़ घर (88.57%) विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और शेष सभी 2.50 करोड़ (11.42%) घरों को चल रही प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) और (ड) : जी, हाँ। पारेषण एवं वितरण में तकनीकी हानि सहित वैद्युत ऊर्जा की लीकेज (जो प्रणाली में अपरिहार्य है), बिलिंग दक्षता की अपर्याप्तता और बिल की गई राशि की वसूली नहीं हो पाना (संग्रह दक्षता) आदि को मिलाकर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि कहा जाता है।

उदय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उदय पोर्टल पर उदय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 की एटीएंडसी हानि 18.75% थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 उदय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एटीएंडसी हानियों में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में कमी आई। एटीएंडसी हानि वर्ष 2015-16 के दौरान 20.74% से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान 18.75% रह गई है।

सरकार एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए मीटरिंग एवं लेखापरीक्षा में सुधार लाने के लिए फीडर मीटर, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने जैसे अनेक उपाय कर रही है। स्मार्ट/प्रीपेड मीटरिंग जैसे प्रचालनात्मक दक्षता सुधारों, ट्रांसफार्मरों, मीटरों इत्यादि के उन्नयन, कुशल एलईडी बल्बों, एरियल बंच्ड केबल्स (एबीसी) के प्रयोग, कृषि पम्पों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों आदि जैसे ऊर्जा दक्षता उपायों से औसत एटीएंडसी हानि में कमी आएगी।

भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय एवं प्रचालन टर्न अराउंड के लिए दिनांक 20 नवंबर, 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 15% तक कम करना है।

भारत सरकार उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है जिससे एटीएंडसी हानियों में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-334

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों हेतु उत्सर्जन मानदंड

\*334. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन ताप विद्युत संयंत्रों के नाम एवं ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2017 के आरंभ से अपने प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दी गई है;
- (ख) क्या मंत्रालय को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी, 2017 के उपरांत प्रचालन आरंभ कर चुके सोलह विद्युत संयंत्रों में से कोई भी उत्सर्जन संबंधी कड़े मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या ये ताप विद्युत संयंत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य नये वायु प्रदूषण विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों को अपने प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंड" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 334 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : जनवरी, 2017 से अब तक की अवधि के दौरान चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) से (ड) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, पारा (Hg) तथा जल की खपत के लिए नए कठोर पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए हैं। इन मानकों की अनुपालना 31.12.2003 से पहले और 01.01.2003 के बाद 31.12.2016 तक स्थापित की गई टीपीपी यूनिटों को 07 दिसंबर, 2017 तक की जानी थी। 01.01.2017 के बाद स्थापित किए जाने वाले टीपीपी इन मानकों की अनुपालना स्थापना (चालू होने) की तारीख से ही करेंगे। नए उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए पीएम हेतु इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटरों के उन्नयन, SOX के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली की स्थापना, दहन को ईष्टतम करने/दहन के पश्चात तथा NOX नियंत्रण के लिए डी-NOX प्रणाली जैसे कुछ प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को पुनः संयोजित किया जाना है। ऐसे उपकरणों को स्थापित करने के लिए कुछ समयावधि और विद्युत संयंत्रों को बंद करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना एक गैर-अनुज्ञप्ति वाली गतिविधि है। तथापि, ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत संयंत्र के निर्माण से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृतियां लेनी अपेक्षित हैं। इसके अलावा, विद्युत संयंत्र का प्रचालन शुरू करने से पहले, टीपीपी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (राज्य पीसीबी) से प्रचालन की सहमति लेना अपेक्षित है। इस प्रकार, विद्युत मंत्रालय के पास ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना और टीपीपी के प्रचालन की सहमति देने की अनुमति का कोई अधिकार नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कोई बाधा न हो और समय की आवश्यकता के साथ-साथ तकनीकी-आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) में जो समन्वित उत्पादन यूनिट बिजली कटौती की आयोजना हेतु निकाय हैं, पणधारियों के परामर्श से 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिटों) की क्षमता हेतु संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना और 64,525 मेगावाट (222 यूनिटों) की क्षमता के लिए संयंत्रों में ईएसपी के उन्नयन हेतु 2018 से 2022 तक एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई थी। यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 13.10.2017 को प्रस्तुत की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 07.12.2017 के निदेशों के आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ऐसे सभी ताप विद्युत संयंत्रों को उपरोक्त चरणबद्ध योजना के अनुसार संशोधित समय-सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 01.01.2017 के बाद स्थापित (चालू) टीपीपी को स्थापना (चालू होने) की तारीख से नए पर्यावरणीय मानकों को पूरा करना अपेक्षित है। ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नए पर्यावरणीय मानक जारी किए जाने से पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/सीपीसीबी ने संशोधित समय-सीमा के अनुसार अर्थात् अधिकतम 2022 तक इन मानकों को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन टीपीपी जो 01.01.2017 के बाद स्थापित (चालू) किए गए हैं, सहित वर्तमान में प्रचालनाधीन टीपीपी को प्रचालन की सहमति जारी कर दी है।

इसके अलावा, यह भी बताया जाता है कि 07.12.2015 के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने वाले सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नए पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना की जाएगी।

\*\*\*\*\*

"ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंड" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

जनवरी, 2017 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	विकासकर्ता	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की तारीख
1	मौदा टीपीएस	एनटीपीसी	महाराष्ट्र	यू-4	660	18-03-17
2	बोंगाईगांव टीपीपी		असम	यू-2	250	22-03-17
3	कुडगी एसटीपीपी फेज-I		कर्नाटक	यू-2	800	23-03-17
4	ऊंचाहार टीपीएस		उत्तर प्रदेश	यू-6	500	31-03-17
5	नबी नगर टीपीपी		बिहार	यू-2	250	03-04-17
6	सोलापुर एसटीपीपी		महाराष्ट्र	यू-1	660	07-04-17
7	कुडगी एसटीपीपी फेज-I		कर्नाटक	यू-3	800	12-03-18
8	लारा एसटीपीपी		छत्तीसगढ़	यू-1	800	23-03-18
9	मेजा एसटीपीपी		उत्तर प्रदेश	यू-1	660	30-03-18
10	मुजफ्फरपुर टीपीएस		बिहार	यू-4	195	24-03-17
<b>राज्य क्षेत्र</b>						
11	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV	एपजेंको	आंध्र प्रदेश	यू-6	600	12-03-18
12	भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	गुजरात	यू-2	250	27-03-17
13	बरोनी टीपीएस एक्सटें.	बीएसईबी	बिहार	यू-8	250	11-01-18
				यू-9	250	31-03-18
14	छाबड़ा टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	राजस्थान	यू-5	660	04-04-17
15	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	कर्नाटक	यू-2	800	29-03-17
<b>निजी क्षेत्र</b>						
16	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	केएसके महानदी पावर कं. लि.	छत्तीसगढ़	यू-3	600	18-01-18
17	प्रयागराज टीपीपी (बारा टीपीपी)	प्रयागराज पावर जेन. कं. लि.	उत्तर प्रदेश	यू-3	660	22-05-17
18	नासिक (पी) टीपीएस-	रत्न पावर	महाराष्ट्र	यू-2	270	15-02-17
				यू-3	270	14-04-17
				यू-4	270	19-05-17
				यू-5	270	30-05-17
19	इंडिया पावर टीपीपी	आईपीसीएल (हल्दिया)	पश्चिम बंगाल	यू-1	150	07-06-17
				यू-2	150	31-12-17
20	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि.	छत्तीसगढ़	यू-3	360	12-09-17
21	सेम्बकॉर्प गायत्री प्रा. लि. (एनसीसी टीपीपी)	सेम्बकॉर्प गायत्री प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	यू-2	660	15-02-17
22	शीरपुर टीपीपी	शीरपुर पावर प्रा. लि.	महाराष्ट्र	यू-1	150	28-09-17
23	बिंजकोट टीपीपी	एसकेएस पावर जेन. (सीजी लि.)	छत्तीसगढ़	यू-1	300	25-04-17
				यू-2	300	28-03-18
24	नवापारा टीपीपी	टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लि.	छत्तीसगढ़	यू-2	300	18-04-17
<b>कुल क्षमता मेगावाट में</b>					<b>13095</b>	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3704

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

अबाधित विद्युत आपूर्ति

3704. श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

श्री के.एन. रामचन्द्रन:

श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों, महत्वपूर्ण संस्थाओं, पुलिस स्थापनाओं इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण स्थापनाओं को अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड और निजी दूरसंचार कम्पनियों को अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु को अत्यधिक विद्युत की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुगम्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य ऊर्जा विभागों द्वारा किया जाता है। वितरण लाइसेंस संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए जाते हैं। इस प्रकार राज्यों/डिस्कॉमों से सभी उपभोक्ताओं, जिनमें अनिवार्य स्थापना जैसे अस्पताल, महत्वपूर्ण संस्थान, पुलिस स्थापना आदि शामिल हैं, को विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराना अपेक्षित है। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

**(ग) और (घ) :** तमिलनाडु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु की औसत विद्युत मांग लगभग 14,800 मेगावाट से 15,300 मेगावाट तथा व्यस्ततम मांग 15,440 मेगावाट है। दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु की स्थापित क्षमता 18,747 मेगावाट परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से तथा 11,411 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है। तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम ने सूचित किया है कि सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतःराज्य पारेषण और वितरण नेटवर्क के संवर्द्धन और सुदृढीकरण में राज्य की सहायता कर रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक सहित 1306.77 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई हैं। आर-एपीडीआरपी सहित आईपीडीएस के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए 5,411.72 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। निधि प्रगति के लक्ष्यों के आधार पर जारी की जाती है। विगत 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु को जारी की गई निधि नीचे दी गई है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
डीडीयूजीजेवाई	77.07	110.34	1.86	189.27
आईपीडीएस	शून्य	216.05	282.50	498.55

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3707

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

3707. डॉ. ए. सम्पतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास वर्ष 2020 तक विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का कोई अनुमान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अधिष्ठापित क्षमता और उपयोग का वर्तमान प्रतिशत क्या है;
- (ग) औद्योगिक, घरेलू, सेवा क्षेत्र द्वारा उपभोग का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में अधूरी पड़ी सभी जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : मार्च, 2022 तक विभिन्न स्रोतों से अनुमानित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता **अनुबंध-I** पर दी गई है।

दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है। चालू वर्ष 2018-19 के दौरान व्यस्ततम मांग 170 गीगावाट है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान, कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत स्टेशनों का औसत संयंत्र भार घटक पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 61.23 प्रतिशत से बढ़कर 63.24 प्रतिशत हो गया है।

(ग) : वर्ष 2016-17 के लिए श्रेणी-वार और राज्य-वार विद्युत खपत **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) : 31.07.2018 की स्थिति के अनुसार, कुल 12208.50 मेगावाट की 38 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3707 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

मार्च, 2022 तक विभिन्न स्रोतों से संस्थापित उत्पादन क्षमता

स्रोत	क्षमता (मेगावाट)
कोयला और लिग्नाइट	217,302
हाइड्रो	51,301
गैस	25,735
न्यूक्लियर	10,080
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस)	175,000
<b>कुल</b>	<b>479,418</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3707 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

श्रेणी-वार अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/राज्य-वार यूटिलिटियां और गैर-यूटिलिटियां 2016-17					
(जीडब्ल्यूएच)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक विद्युत		पब्लिक लाइटिंग
			(कम और मध्यम वोल्टेज)	(हाई वोल्टेज)	
चंडीगढ़	719.20	497.84	135.48	129.08	21.43
दिल्ली	14086.66	7290.32	3053.44	37.60	494.40
हरियाणा	7395.65	5341.45	1642.38	9405.54	102.55
हिमाचल प्रदेश	1937.93	528.24	208.13	4451.50	12.99
जम्मू व कश्मीर	3272.06	1023.80	514.19	1018.85	52.80
पंजाब	13047.33	3719.32	3271.90	12778.14	186.57
राजस्थान	11496.82	4273.11	3004.88	18382.56	330.35
उत्तर प्रदेश	33239.31	5613.82	5643.95	23748.35	977.56
उत्तराखंड	2595.00	1198.00	311.00	7131.70	46.65
<b>उपजोड़ (एनआर)</b>	<b>87789.95</b>	<b>29485.91</b>	<b>17785.35</b>	<b>77083.33</b>	<b>2225.30</b>
छत्तीसगढ़	4938.82	1448.59	519.52	23352.40	106.69
गुजरात	13889.84	2954.02	15737.96	59769.62	348.45
मध्य प्रदेश	11184.35	2829.98	1240.82	11956.04	420.85
महाराष्ट्र	26870.37	13367.61	9331.25	31297.23	1837.68
दमन व दीव	96.01	44.32	171.30	1405.36	7.89
दादरा व नागर हवेली	104.46	30.36	211.70	5370.90	8.28
गोवा	880.59	368.45	160.75	2074.57	36.95
<b>उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)</b>	<b>57964.44</b>	<b>21043.33</b>	<b>27373.30</b>	<b>135226.12</b>	<b>2766.80</b>
आंध्र प्रदेश	12383.07	3185.84	3833.28	15922.26	395.18
तेलंगाना	10055.86	4956.21	1146.23	12449.55	534.59
कर्नाटक	11829.43	6262.74	1694.69	25705.78	974.37
केरल	10340.27	4389.22	1135.73	3561.04	378.48
तमिलनाडु	24529.53	9300.08	7880.78	31832.29	1202.33
पुदुचेरी	659.73	186.94	172.42	1415.13	26.99
लक्षद्वीप	35.02	11.55	0.42	0.00	0.61
<b>उप-जोड़ (एसआर)</b>	<b>69832.91</b>	<b>28292.58</b>	<b>15863.54</b>	<b>90886.06</b>	<b>3512.55</b>
बिहार	8443.32	1702.15	565.98	2403.68	32.28
झारखंड \$	4918.62	527.90	210.67	17721.01	146.70
ओडिशा	6894.16	1560.50	324.71	32533.35	92.85
पश्चिम बंगाल \$	14301.50	5725.69	2132.16	16771.70	522.09
सिक्किम	164.09	41.07	1.61	205.86	0.33
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	139.08	65.57	16.88	0.00	10.30
<b>उप-जोड़ (ईआर)</b>	<b>34860.78</b>	<b>9622.89</b>	<b>3252.01</b>	<b>69635.59</b>	<b>804.55</b>
अरुणाचल प्रदेश	147.96	44.47	4.35	101.98	10.94
असम	3425.00	1011.00	96.00	2159.99	17.00
मणिपुर	330.43	43.54	14.32	7.36	3.46
मेघालय	396.45	87.15	5.06	588.41	0.45
मिजोरम	233.90	33.87	1.64	8.83	4.89
नागालैंड	342.00	82.58	61.29	0.00	14.60
त्रिपुरा	502.19	77.62	26.31	24.67	38.59
<b>उप-जोड़ (एनईआर)</b>	<b>5377.93</b>	<b>1380.23</b>	<b>208.98</b>	<b>2891.24</b>	<b>89.92</b>
<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>255826.01</b>	<b>89824.93</b>	<b>64483.18</b>	<b>375722.34</b>	<b>9399.12</b>

टिप्पणी: \$ - झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी की बिक्री सहित।

श्रेणी-वार अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/राज्य-वार यूटिलिटियां और गैर-यूटिलिटियां 2016-17					
(जीडब्ल्यूएच)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ट्रेक्शन	कृषि	सार्वजनिक जल कार्य और सीवेज पंपिंग	विविध	बिक्री की गई कुल ऊर्जा
चंडीगढ़	0.00	4.23	(ख)	83.94	1591.20
दिल्ली	71.37	28.88	602.80	941.32	26606.79
हरियाणा	359.57	9708.81	806.50	795.48	35557.92
हिमाचल प्रदेश	0.00	57.28	551.01	324.83	8071.91
जम्मू व कश्मीर	0.00	313.00	615.00	1095.00	7904.70
पंजाब	197.25	12195.97	503.63	722.98	46623.09
राजस्थान	373.59	21361.21	1503.00	675.39	61400.90
उत्तर प्रदेश	1657.25	15638.04	1814.71	2911.74	91244.74
उत्तराखंड	19.76	141.71	366.00	567.50	12377.32
<b>उपजोड़ (एनआर)</b>	<b>2678.79</b>	<b>59449.13</b>	<b>6762.64</b>	<b>8118.19</b>	<b>291378.58</b>
छत्तीसगढ़	900.62	4290.38	288.06	38.78	35883.86
गुजरात	652.93	16758.62	1959.05	671.14	112741.64
मध्य प्रदेश	1827.00	17331.65	1431.94	1774.46	49997.10
महाराष्ट्र	2297.80	28201.84	2510.32	12228.64	127942.74
दमन व दीव	0.00	2.72	3.22	8.19	1739.01
दादरा व नागर हवेली	0.00	6.20	4.55	3.20	5739.65
गोवा	0.00	29.94	0.00	49.32	3600.57
<b>उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)</b>	<b>5678.35</b>	<b>66621.35</b>	<b>6197.14</b>	<b>14773.74</b>	<b>337644.57</b>
आंध्र प्रदेश	1240.27	13296.61	511.63	1021.26	51789.40
तेलंगाना	553.42	15676.32	533.53	1687.76	47593.48
कर्नाटक	67.61	21625.35	2733.36	949.48	71842.82
केरल	227.94	331.56	0.00	678.67	21042.89
तमिलनाडु	852.24	11733.40	1202.33	3179.61	91712.59
पुडुचेरी	0.00	59.17	0.00	149.10	2669.48
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	47.59
<b>उप-जोड़ (एसआर)</b>	<b>2941.48</b>	<b>62722.41</b>	<b>4980.84</b>	<b>7665.88</b>	<b>286698.26</b>
बिहार	626.35	409.28	81.28	3326.42	17590.74
झारखंड \$	1259.66	110.39	83.77	502.56	25481.28
ओडिशा	1103.74	327.04	140.57	780.48	43757.42
पश्चिम बंगाल \$	1394.38	1433.61	877.91	3332.48	46491.52
सिक्किम	0.00	0.00	0.55	23.06	436.57
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	34.00	265.83
<b>उप-जोड़ (ईआर)</b>	<b>4384.13</b>	<b>2280.32</b>	<b>1184.08</b>	<b>7999.01</b>	<b>134023.35</b>
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.04	0.00	61.09	370.82
असम	0.00	36.00	87.00	594.00	7425.99
मणिपुर	0.00	0.96	23.51	88.34	511.92
मेघालय	0.00	0.10	34.59	133.29	1245.50
मिजोरम	0.00	0.00	49.95	20.46	353.54
नागालैंड	0.00	0.02	9.24	125.10	634.83
त्रिपुरा	0.00	40.55	81.92	103.42	895.27
<b>उप-जोड़ (एनईआर)</b>	<b>0.00</b>	<b>77.67</b>	<b>286.21</b>	<b>1125.70</b>	<b>11437.87</b>
<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>15682.75</b>	<b>191150.89</b>	<b>19410.91</b>	<b>39682.51</b>	<b>1061182.64</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3707 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची (25 मेगावाट से अधिक)  
नदियों और बेसिन का राज्य वार ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	<b>आंध्र प्रदेश</b>	
1	पोलावरम (एपजैको)/सिंचाई विभाग, ए.पी.	960.00
	<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>	<b>960.00</b>
	<b>अरुणाचल प्रदेश</b>	
2	कामेंग (नीपको)	600.00
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	2000.00
4	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	144.00
	<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>	<b>2744.00</b>
	<b>हिमाचल प्रदेश</b>	
5	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	800.00
6	उहल-III (बीवीपीसीएल)	100.00
7	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	111.00
8	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	450.00
9	बजोली होली (जीएमआर)	180.00
10	सोरांग (एचएसपीसीएल)	100.00
11	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	44.00
12	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	100.00
	<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>	<b>1885.00</b>
	<b>जम्मू व कश्मीर</b>	
13	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	1000.00
14	परनई (जेकेएसपीडीसी)	37.50
15	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	48.00
16	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	850.00
	<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>	<b>1935.50</b>
	<b>केरल</b>	
17	पल्लीवसल (केएसईबी)	60.00
18	थोटियार (केएसईबी)	40.00
	<b>उप-जोड़: केरल</b>	<b>100.00</b>

	<b>मध्य प्रदेश</b>	
19	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	400.00
	<b>उप-जोड़: मध्य प्रदेश</b>	<b>400.00</b>
	<b>महाराष्ट्र</b>	
20	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	80.00
	<b>उप-जोड़: महाराष्ट्र</b>	<b>80.00</b>
	<b>पंजाब</b>	
21	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	206.00
	<b>उप-जोड़: पंजाब</b>	<b>206.00</b>
	<b>सिक्किम</b>	
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	51.00
23	रंगित-IV (जल पावर)	120.00
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	66.00
25	रोंगनीचू (मध्य भारत)	96.00
26	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	500.00
27	पन्नन (हिमगिरी)	300.00
	<b>उप-जोड़: सिक्किम</b>	<b>1133.00</b>
	<b>तमिलनाडु</b>	
28	कुंडहा पम्पड स्टोरेज	125.00
	<b>उप-जोड़: तमिलनाडु</b>	<b>125.00</b>
	<b>तेलंगाना</b>	
29	पुलीचिंताला (टीएसजैको) (3 यूनिटें चालू)	30.00
	<b>उप-जोड़: तेलंगाना</b>	<b>30.00</b>
	<b>उत्तराखंड</b>	
30	लता तपोवन (एनटीपीसी)	171.00
31	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	520.00
32	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	1000.00
33	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	444.00
34	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	60.00
35	व्यासी (यूजेवीएनएल)	120.00
36	फाटा ब्यूंग (लैंको)	76.00
37	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	99.00
	<b>उप-जोड़: उत्तराखंड</b>	<b>2490.00</b>
	<b>पश्चिम बंगाल</b>	
38	रम्मम-III (एनटीपीसी)	120.00
	<b>उप-जोड़: पश्चिम बंगाल</b>	<b>120.00</b>
	<b>कुल:</b>	<b>12208.50</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3728

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

पर्यावरणीय मानदंड

3728. श्रीमती रीता तराई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाए गए संशोधित पर्यावरण मानदंड के संबंध में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आवश्यकता आधारित रेट्रोफिटिंग सहित संशोधित परिवर्तित मानदंड को पूरा करना अत्यधिक समय लेने वाला होगा और इनका विद्युत प्रशुल्क पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या विद्युत मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरणीय उन्नयन से छूट प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी हाँ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 07 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए निम्नलिखित नए पर्यावरण मानक अधिसूचित किए हैं :

उत्सर्जन मापदण्ड	31 दिसंबर, 2003 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	31 दिसंबर, 2003 के बाद तथा 31 दिसंबर, 2016 तक स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)	1 जनवरी, 2017 से स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां)
पर्टिकुलेट मैटर	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	50 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	30 एमजी/एनएम <sup>3</sup>
सल्फर डाई ऑक्साइड (SO <sub>2</sub> )	500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम <sup>3</sup> 500 मेगावाट और उससे	500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम <sup>3</sup> 500 मेगावाट और उससे	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>

	अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	
नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO <sub>x</sub> )	600 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	300 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	100 एमजी/एनएम <sup>3</sup>
पारा	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup> (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए)	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup>	0.03 एमजी/एनएम <sup>3</sup>
जल मानक	<p>क. एक बार शीतलन (ओटीसी) के माध्यम से सभी संयंत्र शीतलन टावरों (सीटी) को प्रतिष्ठापित करेंगे और अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5 एम3/एमडब्ल्यूएच की विनिर्दिष्ट जल उपयोग को हासिल करेंगे।</p> <p>ख. सभी विद्यमान सीटी आधारित संयंत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकतम 3.5 एम3/एमडब्ल्यूएच तक के विनिर्दिष्ट जल उपयोग को कम करेंगे।</p> <p>ग. 01 जनवरी, 2017 के पश्चात प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए संयंत्र अधिकतम 2.5 एम3/एमडब्ल्यूएच तक के विनिर्दिष्ट जल उपयोग को पूरा करेंगे और शून्य जल दुरुव्यय को हासिल करेंगे।</p>		

बाद में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण मानकों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए :

- I. विनिर्दिष्ट जल खपत 01 जनवरी, 2017 के बाद संस्थापित किए गए नए संयंत्रों के लिए 3.0एम3/एमडब्ल्यूएच से अधिकतम नहीं होगा और ये संयंत्र शून्य अपशिष्ट जल निस्सरण को हासिल करेंगे।
- II. जल खपत सीमा समुद्री जल का उपयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होगी।
- III. आर्द्र फ्लू गैस डीसल्फराईजेशन (एफजीडी) के साथ तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए चिमनी की ऊंचाई/मीटर में सीमा निम्नानुसार संशोधित की जाती है :
  - क. **100 मेगावाट और अधिक** -  $6.902 \times (\text{SO}_2 \text{ की किग्रा/घं. में उत्सर्जन दर} \times 0.277) 0.555$  अथवा 100 मीटर
  - ख. **100 मेगावाट से कम** -  $6.902 \times (\text{SO}_2 \text{ की किग्रा/घं. में उत्सर्जन दर} \times 0.277) 0.555$  अथवा 30 मीटर जो भी अधिक है।

**(ख) :** जी, हाँ। एक यूनिट में फ्लू गैस डीसल्फराईजेशन (एफजीडी) की स्थापना में आर्डर प्रस्तुत करने की तारीख से लगभग तीन वर्ष का समय लगता है जिसके बाद टीपीएस द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी (अर्थात कम ऊंचाई की चिमनी बनाने/मौजूदा चिमनी की लाइनिंग आदि के लिए) पर निर्भर रहते हुए आवश्यक कनेक्शन बनाने के लिए इकाई को बंद किया जाएगा। इसके अलावा, कम से कम लगभग 6 माह का समय बोली एवं टेंडर को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित है।

इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के उन्नयन/संवर्धन के लिए भी इकाई को 4 से 6 माह के लिए बंद करना होता है। तदनुसार, इकाईयों में एफजीडी एवं ईएसपी के लिए चरणबद्ध योजना, जहां दोनों की आवश्यकता है, समान रखी गई है क्योंकि यह इकाईयों को दो बार बंदी से बचाएगा। यह देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में भी मदद करेगा। एफजीडी प्रणाली फ्लू गैस के पीएम स्तरों में भी पर्याप्त कमी कर सकती है, एफजीडी इनलेट पर कतिपय पीएम स्तर की शर्तों के अध्यधीन कई इकाईयों में ईएसपी के उन्नयन/संवर्धन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप यूटिलिटियों द्वारा कम व्यय किया जाएगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं पर भी टैरिफ का भार कम हो जाएगा।

यूनिटों के बार-बार बंदी से बचने एवं देश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को बनाए रखने के लिए एफजीडी के लिए बंदी के दौरान दहन अनुकूलता, कम NOX के बर्नरों आदि की स्थापना जैसे NOX नियंत्रण उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

टैरिफ के मामले में, संशोधित उत्सर्जन प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे :

- I. संशोधित मानकों को पूरा करने के लिए स्थापनाओं के कारण अतिरिक्त पूंजीगत व्यय।
- II. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में वृद्धि।
- III. विद्युत स्टेशनों की सहायक विद्युत खपत में वृद्धि।
- IV. स्थापना चरण के दौरान विद्युत उत्पादन में बाधा।
- V. स्थापना के लिए बंदी अवधि के दौरान निर्धारित लागत (फिक्स्ड कॉस्ट)।

टैरिफ में प्रभाव प्रावधानों को पूरा करने के लिए अपनाई गई तकनीकी पर निर्भर करेगा।

(ग) : देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में व्यवधान उत्पन्न किए बिना नए मानकों का अनुपालन करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पणधारियों के परामर्श से 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिटों) की क्षमता हेतु संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना और 64,525 मेगावाट (222 यूनिटों) की क्षमता के लिए संयंत्रों में ईएसपी के उन्नयन हेतु 2018 से 2022 तक एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई थी और यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 13.10.2017 को प्रस्तुत की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ताप विद्युत संयंत्रों को अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

सरकार चरणबद्ध तरीके से थर्मल पावर प्लांटों द्वारा नए पर्यावरण प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। विद्युत मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि जिन यूनिटों ने 25 वर्षों की प्रचालन अवधि पूरी कर ली है और जहां एफजीडी तथा उत्सर्जन नियंत्रण संभव नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा दक्षता के निर्धारित मानदण्ड पूरा करने के आधार पर कुछ सीमित समय के लिए प्रचालन करने की अनुमति दी जाए जिससे कि ग्रिड में संतुलन बनाए रखने/व्यस्ततम मांग की पूर्ति के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाई रखी जा सके।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3732

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन हेतु योजना

3732. श्री एम.आई. शनवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन और इसे देश में सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या अभी भी लाखों लोगों को घर और उनके काम करने के स्थान पर विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में लगभग 170 गीगावाट की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

अब देश में उत्पादन क्षमता मांग से अधिक है। तथापि, मांग के भावी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए 2017-22 तक चालू किए जाने के लिए 47885 मेगावाट कोयला आधारित, 406 मेगावाट गैस आधारित, 6823 मेगावाट जल विद्युत और 3300 मेगावाट नाभिकीय क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। 2021-22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है।

भारत सरकार ने सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" की भी शुरुआत की है। दिनांक 06.08.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 21.92 करोड़ घर हैं, जिनमें से 19.42 करोड़ घरों (88.57 प्रतिशत) का विद्युतीकरण कर दिया है और शेष 2.50 करोड़ घरों (11.42 प्रतिशत) का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2019 तक चल रही प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" के तहत किए जाने का लक्ष्य है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3736

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

3736. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तापीय, जल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने में वर्ष 2017 और 2022 की पांच वर्षों की अवधि में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भारत में अत्यधिक निवेश होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के कोई सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : दिनांक 28.03.2018 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार 2017-2022 की अवधि के लिए परंपरागत स्रोतों से कुल 58,384 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों की 47,855 मेगावाट, गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की 406 मेगावाट, जल विद्युत स्टेशनों की 6823 मेगावाट और नाभिकीय स्टेशनों की 3300 मेगावाट क्षमता शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्थापित करने पर भी काफी जोर दे रही है जिसमें से 1,17,756 मेगावाट 2017-2022 की अवधि के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है।

उपरोक्त के आधार पर, 2017-22 की अवधि के लिए 11,55,652 करोड़ रुपए की कुल निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें 2022-27 के दौरान स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का संभावित व्यय भी शामिल है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर "समेकित एफडीआई नीति" अधिसूचित करता है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु इक्विटी इंप्लो के जरिए सूचित वित्त वर्ष वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	एफडीआई अमेरिकी मिलियन डॉलर में
2014-15	707.04
2015-16	868.80
2016-17	1112.98
2017-18	1621.00

राज्य डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है जिससे विद्युत क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3746

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

ईंधन की कमी

3746. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री राजेश रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अनेक ताप-विद्युत संयंत्र कोयले की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आवश्यक संख्या में वैगनों की कमी के कारण कोयले का परिवहन प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस समस्या के कारण ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा है;
- (घ) क्या झज्जर, दादरी और बदरपुर जैसे दिल्ली के अनेक ताप विद्युत संयंत्रों में पूरी मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : निजी खानों सहित घरेलू कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान लगभग 15.1 प्रतिशत रही है। इसलिए देश में विद्युत संयंत्र, देश में विद्युत की मांग को पूरा कर सके हैं तथा कोयले का स्टॉक भी 19.10.2017 को 7.26 एमटी से बढ़कर 01.08.2018 को 15.95 एमटी हो गया है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कोयला आधारित उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से जून, 2018 के दौरान संचयी उत्पादन वृद्धि 5.3 प्रतिशत थी।

क्रिटिकल (7 दिन से कम कोयला स्टॉक)/सुपर क्रिटिकल कोयला स्टॉक (4 दिन से कम कोयला स्टॉक) वाले संयंत्रों की संख्या भी 01.04.2018 को 30 से घटकर 01.08.2018 को 11 हो गई है।

घरेलू कोयला कंपनियां दिल्ली में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। 01.08.2018 की स्थिति के अनुसार बदरपुर, झज्जर और दादरी थर्मल पावर प्लांटों में उपलब्ध कोयले के स्टॉक की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति तथा कोयले के स्टॉक की स्थिति की विद्युत मंत्रालय (एमओपी), कोयला मंत्रालय (एमओसी) और रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सचिव (एमओपी), सचिव (एमओसी) तथा सदस्य (ट्रेफिक), रेल मंत्रालय कोयले की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करते हैं। कोयले की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी बैठकें लेते हैं। एक अंतरमंत्रालयी उप समूह, जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोयलरिज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल हैं, साप्ताहिक आधार पर कोयले की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है। बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर सीआईएल/एससीसीएल, उन विद्युत संयंत्रों, जिनमें कोयले का स्टॉक कम होता है, को कोयले की आपूर्ति बढ़ाते हैं तथा रेलवे पर्याप्त संख्या में रैकों की आपूर्ति करता है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3746 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

01.08.2018 की स्थिति के अनुसार, बदरपुर, झज्जर और दादरी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रति दिन कोयला आवश्यकता और उपलब्ध कोयला स्टॉक

संयंत्र का नाम	प्रति दिन आवश्यकता ('000 टन में)	स्टॉक ('000 टन में)	स्टॉक (दिनों में)
बदरपुर	6.05	11.70	2
झज्जर	12.87	94.81	7
दादरी	17.25	39.51	2

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3750

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विद्युतीकरण के लिए वित्तपोषण पद्धति

3750. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों और तय किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति अर्थात् केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश के अनेक राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन बहुत धीमा पाया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इन राज्यों को कुछ सलाह जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	फीडर पृथक्करण - 11 केवी	159771 सीकेएम	32881 सीकेएम
2.	प्रणाली सुदृढीकरण -		
	क. वितरण ट्रांसफार्मर	409989	82741
	ख. 11 केवी लाइनें	109112 सीकेएम	33212 सीकेएम
	ग. एलटी लाइनें	122303 सीकेएम	62227 सीकेएम
	घ. नए सब-स्टेशन	1825	487
	ङ. सब-स्टेशनों का संवर्धन	1693	699

3.	मीटरिंग -		
	क. उपभोक्ता	14889629	4869724
	ख. फीडर	29336	5185
	ग. वितरण ट्रांसफार्मर	376234	64028

योजना का वित्तपोषण पैटर्न विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों (विशेष श्रेणी राज्यों के अर्थात् सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों लिए 85 प्रतिशत) के संबंध में भारत सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान परिकल्पित है।

न्यूनतम 10 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा अपने स्रोतों के जरिए योगदान किया जाता है तथा शेष 30 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा ऋण अथवा अपने स्रोतों से योगदान किया जाता है। ऋण सामान्यतः पावर फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल इलैक्ट्रिकेशन कारपोरेशन द्वारा दिया जाता है।

ऋण घटक के 50 प्रतिशत का परिवर्तन करके 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 5 प्रतिशत) तक अतिरिक्त अनुदान विनिर्दिष्ट लक्ष्यों जैसे समय पर पूरा करना, घरों का समय पर विद्युतीकरण, एटीएंडसी हानियों में कमी तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी की अग्रिम रिलीज की उपलब्धि पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

**(ग) से (ङ) :** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वन और रेलवे स्वीकृतियों में विलंब, उपकेंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दे, बीपीएल सूची उपलब्ध कराने, नक्सल समस्या और दुर्गम क्षेत्र सहित कानून और व्यवस्था के कारण कुछ मामलों को छोड़कर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। समीक्षा, आयोजना और निगरानी (आरपीएम) बैठकों में प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कार्य शीघ्र करने के लिए तरीके सुझाए जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रभावी निगरानी के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर एक तंत्र विद्यमान है। डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं की समीक्षा माननीय वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में दिशा (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित) नामक जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति द्वारा जिला स्तर पर, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समितियों (एसएलएससी) के जरिए राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति द्वारा की जाती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3752

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण

3752. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के कई गांवों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचने तथा सभी बीपीएल घरों को कब तक बिजली का कनेक्शन मिलने की संभावना है;
- (घ) विगत 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण/बीपीएल विद्युतीकरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार देश में पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराके सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ शुरू की है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों सहित शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) और (ङ) : निधियां पिछली किश्त (किश्तों) में राशि के सूचित उपयोग के आधार पर तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) स्कीमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किश्तों में जारी की जाती हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान और सौभाग्य के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान राज्यों को क्रमशः 21,527 करोड़ रुपए तथा 1,541 करोड़ रुपए का अनुदान संवितरित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3752 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा**

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1	आंध्र प्रदेश	31	128	165	324
2	अरुणाचल प्रदेश	31	101	81	213
3	असम	338	598	401	1,337
4	बिहार	710	1,292	763	2,765
5	छत्तीसगढ़	279	126	552	957
6	गुजरात	58	110	143	312
7	हरियाणा	-	-	45	45
8	हिमाचल प्रदेश	28	-	-	28
9	जम्मू व कश्मीर	-	-	65	65
10	झारखंड	-	327	862	1,189
11	कर्नाटक	44	145	204	393
12	केरल	-	134	87	221
13	मध्य प्रदेश	439	421	598	1,457
14	महाराष्ट्र	43	257	143	443
15	मणिपुर	7	36	33	76
16	मेघालय	-	26	58	83
17	मिजोरम	19	14	42	75
18	नगालैंड	48	21	24	93
19	ओडिशा	514	1,079	366	1,959
20	पंजाब	-	-	15	15
21	राजस्थान	253	349	782	1,383
22	सिक्किम	-	-	18	18
23	तमिलनाडु	77	110	2	189
24	तेलंगाना	5	27	60	93
25	त्रिपुरा	49	78	62	189
26	उत्तर प्रदेश	1,249	2,262	3,149	6,660
27	उत्तराखंड	71	16	33	121
28	पश्चिम बंगाल	305	273	241	819
29	पुडुचेरी	-	1	-	1
30	अंडमान निकोबार	-	-	1	1
<b>सकल जोड़</b>		<b>4599</b>	<b>7932</b>	<b>8995</b>	<b>21527</b>

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3752 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत जारी किया गया राज्य-वार अनुदान		
क्रम सं.	राज्य	(करोड़ रुपए में)
1	असम	42
2	बिहार	115
3	छत्तीसगढ़	43
4	जम्मू व कश्मीर	2
5	झारखंड	70
6	केरल	15
7	मध्य प्रदेश	260
8	महाराष्ट्र	15
9	मणिपुर	6
10	नागालैंड	5
11	ओडिशा	76
12	उत्तर प्रदेश	864
13	उत्तराखंड	13
14	पश्चिम बंगाल	14
	<b>कुल</b>	<b>1,541</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3757

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

बिजली की चोरी

**3757. श्री सुशील कुमार सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में बिजली की पारेषण हानियों और चोरी से संबंधित स्थिति की समीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश के दक्षिणी हिस्से विशेषकर केरल और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड की तुलना में बिजली की कटौती का कम सामना करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के साथ-साथ बिजली की पारेषण हानि/चोरी को कम करने की दृष्टि से विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से ब्यौरा एकत्र किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री आर. के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** भारत सरकार राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों की समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों, जिनमें चोरी के कारण हुई हानियां भी शामिल हैं, की निगरानी करती है। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए अखिल भारत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां क्रमशः 22.62 प्रतिशत, 25.72 प्रतिशत और 23.98 प्रतिशत है।

**(ग) से (ङ) :** उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले वर्ष 2017-18 और चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य सहित मांग-आपूर्ति अंतर (आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा) अनुबंध में दिया गया है।

विद्युत का वितरण राज्यों और उनकी यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है और वे अपनी प्रणाली में एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं। भारत सरकार ने उनकी वितरण अवसंरचना में सुधार करने, जिसमें तकनीकी कारणों और चोरी की वजह से हुई हानि को कम करने के लिए उपाय शामिल हैं, के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2018-19 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)				
	ऊर्जा			
राज्य/प्रणालीक्षेत्र	अप्रैल, 2018 - जून, 2018			
	ऊर्जा आक्यक्ता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) ( % )	
चंडीगढ़	457	457	0	0
दिल्ली	9,889	9,881	8	0.1
हरियाणा	14,025	14,025	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,370	2,354	16	0.7
जम्मू एवं कश्मीर	4,838	3,873	966	20.0
पंजाब	14,320	14,307	13	0.1
राजस्थान	19,345	19,201	144	0.7
उत्तर प्रदेश	32,502	32,258	243	0.7
उत्तराखण्ड	3,670	3,626	44	1.2
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	1,01,417	99,983	1,434	1.4
छत्तीसगढ़	6,358	6,353	5	0.1
गुजरात	30,788	30,775	13	0.0
मध्य प्रदेश	16,633	16,633	0	0.0
महाराष्ट्र	42,183	42,181	2	0.0
दमन व दीव	665	665	0	0.0
दादरा व नगर हवेली	1,597	1,597	0	0.0
गोवा	1,159	1,159	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	99,382	99,363	19	0.0
आंध्र प्रदेश	15,879	15,857	22	0.1
तेलंगाना	14,143	14,120	23	0.2
कर्नाटक	16,762	16,736	26	0.2
केरल	6,354	6,329	25	0.4
तमिलनाडु	28,999	28,960	39	0.1
पुडुचेरी	732	729	3	0.4
लक्षद्वीप	12	12	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	82,868	82,732	137	0.2
बिहार	7,884	7,794	90	1.1
झीवीसी	5,604	5,561	43	0.8
झारखण्ड	2,117	2,076	41	1.9
ओडिशा	8,232	8,222	11	0.1
पश्चिम बंगाल	13,876	13,803	73	0.5
सिक्किम	119	119	0	0.1
अंडमान व निकोबार	87	81	6	7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	37,833	37,575	258	0.7
अरुणाचल प्रदेश	205	202	3	1.5
असम	2,355	2,239	115	4.9
मणिपुर	199	196	3	1.6
मेघालय	420	420	0	0.0
मिजोरम	148	146	2	1.6
नागालैंड	219	194	25	11.5
त्रिपुरा	381	369	12	3.2
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	3,928	3,766	162	4.1
<b>अखिल भारत</b>	3,25,428	3,23,418	2,009	0.6
# लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय मांग और उपलब्धता का भाग नहीं है।				
* बांग्लादेश को आपूर्ति छेड़कर।				

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति				
राज्य/प्रणालीक्षेत्र	ऊर्जा			
	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) ( % )	
चंडीगढ़	1,610	1,601	9	1
दिल्ली	31,826	31,806	19	0.1
हरियाणा	50,775	50,775	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,399	9,346	53	0.6
जम्मू एवं कश्मीर	18,808	15,050	3,759	20.0
पंजाब	54,812	54,812	0	0.0
राजस्थान	71,194	70,603	591	0.8
उत्तर प्रदेश	1,20,052	1,18,303	1,749	1.5
उत्तराखण्ड	13,457	13,426	31	0.2
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>3,71,934</b>	<b>3,65,723</b>	<b>6,211</b>	<b>1.7</b>
छत्तीसगढ़	25,916	25,832	84	0.3
गुजरात	1,09,984	1,09,973	12	0.0
मध्य प्रदेश	69,925	69,925	0	0.0
महाराष्ट्र	1,49,761	1,49,531	230	0.2
दमन व दीव	2,534	2,534	0	0.0
दादरा व नगर हवेली	6,168	6,168	0	0.0
गोवा	4,117	4,117	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>3,68,405</b>	<b>3,68,080</b>	<b>326</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	58,384	58,288	96	0.2
तेलंगाना	60,319	60,235	83	0.1
कर्नाटक	67,869	67,701	168	0.2
केरल	25,002	24,917	85	0.3
तमिलनाडु	1,06,006	1,05,839	166	0.2
पुडुचेरी	2,668	2,661	7	0.3
लक्षद्वीप	47	47	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>3,20,248</b>	<b>3,19,642</b>	<b>606</b>	<b>0.2</b>
बिहार	27,019	26,603	417	1.5
डीवीसी	21,549	21,373	176	0.8
झारखण्ड	7,907	7,753	154	1.9
ओडिशा	28,802	28,706	96	0.3
पश्चिम बंगाल	50,760	50,569	191	0.4
सिक्किम	485	484	0	0.1
अंडमान व निकोबार	328	299	29	9
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>1,36,522</b>	<b>1,35,489</b>	<b>1,034</b>	<b>0.8</b>
अरुणाचल प्रदेश	799	788	10	1.3
असम	9,094	8,779	315	3.5
मणिपुर	874	827	46	5.3
मेघालय	1,557	1,553	3	0.2
मिजोरम	497	488	9	1.7
नागालैंड	794	774	20	2.5
त्रिपुरा	2,602	2,553	49	1.9
<b>पूर्वांचल क्षेत्र</b>	<b>16,216</b>	<b>15,763</b>	<b>453</b>	<b>2.8</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>12,13,326</b>	<b>12,04,697</b>	<b>8,629</b>	<b>0.7</b>

# लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय मांग और उपलब्धता का भाग नहीं है।

स्रोत: सीईए

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3765

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

सौभाग्य

3765. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना कार्यान्वित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : सौभाग्य स्कीम एक राष्ट्रीय स्कीम है और सभी राज्यों जिनमें गैर-विद्युतीकृत आवास हैं, को इसे कार्यान्वित करना है।

(ख) : इस स्कीम के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घर तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घर लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य स्कीम के आरंभ होने से दिनांक 06.08.2018 तक संपूर्ण देश में 101.56 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3765 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा  
(06.08.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	कुल सौभाग्य
1	उत्तर प्रदेश	23,22,927
2	ओडिशा	5,65,275
3	झारखंड	6,17,983
4	बिहार	20,36,905
5	असम	3,92,363
6	राजस्थान	3,86,464
7	मध्य प्रदेश	17,54,180
8	कर्नाटक	1,48,989
9	तेलंगाना	81,177
10	छत्तीसगढ़	4,59,985
11	उत्तराखंड	19,819
12	जम्मू-कश्मीर	7,721
13	पश्चिम बंगाल	4,63,837
14	महाराष्ट्र	5,42,927
15	मेघालय	39,509
16	त्रिपुरा	78,569
17	अरुणाचल प्रदेश	2,531
18	मणिपुर	34,148
19	नगालैंड	30,505
20	हरयाणा	10,393
21	हिमाचल प्रदेश	3,468
22	मिजोरम	4,740
23	सिक्किम	3,707
24	आंध्र प्रदेश	1,13,021
25	गुजरात	31,569
26	पुडुचेरी	912
27	पंजाब	386
28	तमिलनाडु	2,170
	<b>कुल</b>	<b>1,01,56,180</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3770

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एनटीपीसी इक्विटी

3770. श्री एम. उदयकुमारः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी ने बिहार में दो विद्युत इकाइयों में 27.36% इक्विटी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी की देश में किसी अन्य विद्युत इकाई में शेयर प्राप्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को देखते हुए किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) में बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) की 27.36 प्रतिशत इक्विटी तथा नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनपीजीसीएल) में बीएसपीजीसीएल की 50 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त की है। यह इक्विटी प्राप्त करने से अब एनटीपीसी की केबीयूएनएल तथा एनपीजीसीएल में 100 प्रतिशत अंशधारिता हो गई है।

(ग) से (ङ) : एनटीपीसी, किसी भी विद्युत परियोजना जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है, में अंशधारिता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। एनटीपीसी किसी भी विद्युत परियोजना में उस समय अंशधारिता प्राप्त करता है, जब अंशधारिता प्राप्त करने से वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रचालनात्मक अथवा निष्पादन दृष्टिकोण से वर्तमान में अथवा भविष्य में कंपनी के लिए अधिक मूल्य मिलने की आशा हो।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3776

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एसी के लिए तापमान

3776. श्रीमती एम. वसन्ती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ महीनों के भीतर ही एयर कंडीशनर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम 'डिफॉल्ट' तापमान निर्धारण अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एयर कंडीशनर विनिर्माताओं के साथ चर्चा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह पहल ऊर्जा बचत के लिए की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत बचत के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्तमान में, एयर कंडीशनरों के लिए अनिवार्यतः न्यूनतम डिफॉल्ट तापमान के अनुसार 24 डिग्री सेल्सियस (डिग्री सेल्सियस) निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, एयर कंडीशनरों का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर निर्धारित करने की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को बड़े वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक कार्यालय कॉम्प्लेक्सों और बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 22 जून,

2018 को एयर कंडीशनर (एसी) के विनिर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया गया था।

यह अनुमान लगाया गया है कि कमरे का एयर कंडीशनिंग तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% विद्युत की बचत होती है। सामान्यतः, एयर कंडीशनिंग तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाता है, जबकि आदर्श/इष्टतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक एयर कंडीशनिंग तापमान में परिवर्तन करने से लगभग 24% विद्युत की बचत होगी। इससे उत्सर्जन में कमी आएगी और फलस्वरूप पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, इससे धन की बचत होगी और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

(ड) : ऊर्जा बचत के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अपने जा सकने वाले अन्य उपायों के अलावा एसी में इष्टतम तापमान निर्धारित करने के लाभों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए इष्टतम तापमान निर्धारित करने के माध्यम से स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है।

विद्युत बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:

- (i) उपभोक्ताओं को संगत वाणिज्यिक उत्पाद की ऊर्जा बचत लागत बचत संभावनाओं के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करने के लिए उपकरणों हेतु स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम।
- (ii) 15 किलोवाट के कनेक्टेड भार पर ऊर्जा दक्ष कृषि पम्पसेटों की लेबलिंग।
- (iii) निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम के माध्यम से निर्दिष्ट उपभोक्ताओं तथा कार्यान्वयन के अनुसार ऊर्जा सघन उद्योगों को अधिसूचित करने के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों का निर्देश।
- (iv) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता का सुधार लाने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) तैयार करना।
- (v) बहु-मंजिला आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के लिए डिजाइन दिशा-निर्देश।
- (vi) नगर पालिका, आवासों, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।
- (vii) सभी के लिए वहनीय एलईडी (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के द्वारा उन्नत ज्योति के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों को प्रोत्साहन।
- (viii) ऊर्जा दक्ष पंखों तथा कृषि पम्पसेटों को प्रोत्साहन।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3778

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा क्षमता वृद्धि करना

3778. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी के कुडगी संयंत्र में 800 मेगावाट उत्पादन इकाई के कार्य शुरू करने के पश्चात् एनटीपीसी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 52,000 मेगावाट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी वर्तमान में देश के अनेक स्थानों पर 20,000 मेगावाट से ज्यादा की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कर्नाटक की तीसरी इकाई चालू करने से एनटीपीसी समूह (इसके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित) की वर्तमान संस्थापित क्षमता 53,651 मेगावाट है। ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : एनटीपीसी की देश में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में 19,751 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है। ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3778 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता**

क्रम सं.	स्टेशन	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
<b>I. एनटीपीसी के स्वामित्व की क्षमता</b>			
<b>कोयला आधारित स्टेशन</b>			
1	सिम्हाद्री-I व II	आंध्र प्रदेश	2000
2	बोंगाईगांव यूनिट-1 व 2	असम	500
3	कहलगांव-I व II	बिहार	2340
4	बाढ़-II	बिहार	1320
5	सीपत-I व II	छत्तीसगढ़	2980
6	कोरबा-I, II व III	छत्तीसगढ़	2600
7	लारा स्टेज-I यूनिट-1	छत्तीसगढ़	800
8	बदरपुर	दिल्ली	705
9	कुडगी	कर्नाटक	2400
10	मौदा-I व II	महाराष्ट्र	2320
11	सोलापुर-I	महाराष्ट्र	660
12	विंध्याचल-I, II, III, IV व V	मध्य प्रदेश	4760
13	तालचर-I व II	ओडिशा	3000
14	तालचर टीपीएस	ओडिशा	460
15	रामागुंडम-I, II, व III	तेलंगाना	2600
16	रिहंद-I, II व III	उत्तर प्रदेश	3000
17	सिंगरौली-I व II	उत्तर प्रदेश	2000
18	दादरी-I व II	उत्तर प्रदेश	1820
19	ऊंचाहार-I, II, III व IV	उत्तर प्रदेश	1550
20	टांडा	उत्तर प्रदेश	440
21	फरक्का-I, II व III	पश्चिम बंगाल	2100
<b>कुल (कोयला)</b>			<b>40,355</b>
<b>कंबाईंड साइकिल गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन</b>			
1	झनोर-गांधार-I	गुजरात	657
2	कवास-I	गुजरात	656
3	फरीदाबाद	हरियाणा	432
4	कायमकुलम-I	केरल	360
5	अंता-I	राजस्थान	419
6	दादरी	उत्तर प्रदेश	830
7	औरैया-I	उत्तर प्रदेश	663
<b>कुल (गैस/तरल)</b>			<b>4,017</b>
<b>हाइड्रो स्टेशन</b>			
1	कोलडैम	हिमाचल प्रदेश	800
<b>कुल (हाइड्रो)</b>			<b>800</b>

क्रम सं.	स्टेशन	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
<b>नवीकरणीय स्टेशन</b>			
1	एण्डएन सोलर	अंडमान एवं निकोबार	5
2	अनंतापुरम सोलर	आंध्र प्रदेश	250
3	रोजमल विंड	गुजरात	50
4	फरीदाबाद सोलर	हरियाणा	5
5	राजगढ़	मध्य प्रदेश	50
6	मंदसौर सोलर	मध्य प्रदेश	250
7	तालचर सोलर	ओडिशा	10
8	भदला सोलर	राजस्थान	260
9	रामागुंडम सोलर	तेलंगाना	10
10	दादरी सोलर	उत्तर प्रदेश	5
11	ऊंचाहार सोलर	उत्तर प्रदेश	10
12	सिंगरौली सोलर	उत्तर प्रदेश	15
13	सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	8
<b>कुल (नवीकरणीय)</b>			<b>928</b>
<b>एनटीपीसी के स्वामित्व की क्षमता</b>			<b>46,100</b>
<b>II. संयुक्त उद्यम/सहायक विद्युत परियोजनाएं</b>			
<b>कोयला आधारित स्टेशन</b>			
<b>(क) सहायक</b>			
1	मुजफ्फरपुर-केबीयूएनएल	बिहार	610
2	नबीनगर-बीआरबीसीएल	बिहार	500
<b>(ख) संयुक्त उद्यम</b>			
1	भिलाई-एनएसपीसीएल	छत्तीसगढ़	574
2	झज्जर-एपीसीपीएल	हरियाणा	1500
3	राउरकेला-एनएसपीसीएल	ओडिशा	120
4	वल्लूर-I-एनटीईसीएल	तमिलनाडु	1500
5	मेजा-एमयूएनपीएल	उत्तर प्रदेश	660
6	दुर्गापुर-एनएसपीसीएल	पश्चिम बंगाल	120
<b>कुल (कोयला)</b>			<b>5584</b>
<b>कंबाईंड साइकिल गैस/तरल आधारित स्टेशन</b>			
1	आरजीपीपीएल	महाराष्ट्र	1967
<b>कुल (गैस/तरल)</b>			<b>1,967</b>
<b>कुल (जेवी+सहायक)</b>			<b>7551</b>
<b>सकल जोड़ (I+II)</b>			<b>53,651</b>

**केबीयूएनएल:** कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

**बीआरबीसीएल:** भारतीय रेल बिजली कं. लि.

**एनएसपीसीएल:** एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

**एपीसीपीएल:** अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

**एनटीईसीएल:** एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

**एमयूएनपीएल:** मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड

**आरजीपीपीएल:** राजधानी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3778 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**भारत में एनटीपीसी की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
<b>एनटीपीसी के स्वामित्व की परियोजनाएं</b>				
1.	असम	बोंगाईगांव यूनिट-3	कोयला	250
2.	बिहार	बाढ़-I	कोयला	1980
3.	छत्तीसगढ़	लारा-स्टेज-I यूनिट-2	कोयला	800
4.	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा	कोयला	1980
5.	मध्य प्रदेश	खरगोन	कोयला	1320
6.	मध्य प्रदेश	गदरवारा-I	कोयला	1600
7.	महाराष्ट्र	सोलापुर यूनिट-2	कोयला	660
8.	ओडिशा	दालीपल्ली-I	कोयला	1600
9.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II	कोयला	1320
10.	तेलंगाना	तेलंगाना	कोयला	1600
11.	उत्तराखंड	तपोवन-विष्णुगाड	हाइड्रो	520
12.	उत्तराखंड	लता तपोवन	हाइड्रो	171
13.	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	हाइड्रो	120
<b>उप-जोड़</b>				<b>13921</b>
<b>सहायक/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं</b>				
14.	झारखंड	पतरातु, पीवीयूएनएल	कोयला	2400
15.	बिहार	नबीनगर, बीआरबीसीएल यूनिट 3 व 4	कोयला	500
16.	बिहार	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	कोयला	1980
17.	उत्तर प्रदेश	मेजा, एमयूएनपीएल यूनिट-2	कोयला	660
18.	ओडिशा	राऊरकेला पीपी-II	कोयला	250
19.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर प्रोजेक्ट-III	कोयला	40
<b>उप-जोड़</b>				<b>5830</b>
<b>सकल जोड़ (मेगावाट)</b>				<b>19,751</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3793

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

अतिरिक्त विद्युत

3793. श्री पी. कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का लक्ष्य हमारे देश को अतिरिक्त बिजली बनाने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार घरेलू उपभोग में बिजली की दरों/मूल्यों में कटौती करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में चालू वर्ष 2018-19 (जुलाई, 2018 तक) के दौरान लगभग 170 गीगावाट की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

अब देश में उत्पादन क्षमता मांग से अधिक है। तथापि, मांग के भावी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए 2017-22 तक चालू किए जाने के लिए 47855 मेगावाट कोयला आधारित, 406 मेगावाट गैस आधारित, 6823 मेगावाट जल विद्युत और 3300 मेगावाट नाभिकीय क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। 2021-22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण करना और सब्सिडी, यदि कोई हो, प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत यूटिलिटी (यूटिलिटीयों) के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः राज्य सरकार विद्युत दरों की कटौती के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के साथ-साथ टैरिफ नीति के खण्ड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3806

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

पीएफसी द्वारा विद्युत की खरीद

**3806. कुमारी सुष्मिता देव:**

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) ने विद्युत खरीद समझौतों के बिना शुरू हो चुके विद्युत संयंत्रों से मध्यम अवधि के समझौते के अंतर्गत विद्युत खरीदने के लिए प्रायोगिक योजना आरंभ की है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पीएफसी द्वारा विद्युत संयंत्रों के साथ विद्युत खरीद समझौते नहीं करने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने पीएफसी और विद्युत संयंत्रों द्वारा इस संबंध में अनुपालन किए जाने वाले कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री आर. के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** भारत सरकार ने दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और समूह के रूप में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मध्यावधि के लिए एक पायलट स्कीम के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस स्कीम में ऐसी उत्पादक कंपनियों से, जो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र वाली हैं, जो पहले से ही चालू हैं और जिन्होंने विद्युत क्रय करार नहीं किया है, उनसे मध्यावधि अर्थात् 3 (तीन) वर्षों के लिए 2,500 मेगावाट विद्युत के खरीद की व्यवस्था है।

इस स्कीम में यह भी व्यवस्था है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड, सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के साथ विद्युत की खरीद के लिए करार और वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के साथ बैंक टू बैंक विद्युत आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करेगी। दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज में संविदा की गई क्षमता के 55% की सीमा तक इन उत्पादन कंपनियों से न्यूनतम विद्युत के कुल खरीद की परिकल्पना है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के संपूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी ने एक नोडल एजेंसी के रूप में पायलट योजना के दिशा-निर्देशों और एसबीडी के अनुसार डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस (दीप) पोर्टल मई, 2018 को निविदा दस्तावेज जारी किया। फिलहाल, प्रस्ताव बोली के चरण में है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3814

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

माही नदी पर जल विद्युत परियोजना

3814. श्री मानशंकर निनामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और गुजरात में माही नदी पर कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित है;

(ख) इन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रारंभण की संभावित तिथि क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में लगी एजेंसियों के नाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और गुजरात में माही नदी पर न तो कोई जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं और न ही माही नदी पर किसी जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) के निर्माण के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहमति हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3831

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्युतीकरण परियोजनाएं

**3831. श्री हरीश मीना:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्य और केन्द्र सरकार एजेंसी के बीच दिशानिर्देशों और राजसहायता की स्पष्टता संबंधी विवाद के कारण राजस्थान राज्य विशेषकर दौसा और अलवर जिले में कितनी केन्द्र द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को रोक दिया गया है; और
- (ख) इन विवादों का समाधान करने और सम्यक अनुक्रम में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य के निष्पादन में दिशानिर्देशों एवं सब्सिडी की स्पष्टता पर राजस्थान राज्य और केन्द्र सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3833

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को धनराशि प्रदान करना

**3833. श्री मोहम्मद असरारुल हक:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वित्तीय संस्थान और बैंक जलविद्युत परियोजनाओं की तुलना में ताप विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का विकल्प चुनते हैं/ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं;
- (ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीयन पद्धति नई हाइड्रो नीति, 2008 और प्रशुल्क नीति की तर्ज पर है जिसका लक्ष्य विषम जल-तापीय अनुपात में सुधार करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई जिसमें बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के संघटकों के मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था है, जिसके तहत निर्धारित किए गए अनुसार ऋण संबंधी कोई भी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) : विद्युत परियोजनाओं सहित परियोजनाओं को निधियां वाणिज्यिक व्यवहार्यता, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, प्रवर्तकों की साख आदि जैसे घटकों पर निर्भर करते हुए दी जाती हैं। इस मंत्रालय को परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) : जल विद्युत नीति, 2008 और टैरिफ नीति, 2016 में परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पैटर्न का उल्लेख नहीं है। तथापि, टैरिफ नीति, 2016 के अंतर्गत, समुचित आयोग को प्रारंभिक वर्षों में प्रशुल्क के भार को कम करने के लिए दीर्घकालीन वित्तीय प्रलेखों का प्रयोग करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचा विकसित करना अपेक्षित है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) तथा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने 20 वर्षों तक अथवा इससे अधिक के मियादी ऋणों वाली जल विद्युत परियोजनाओं का दीर्घकालिक वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3844

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एनटीपीसी से विद्युत का आबंटन रद्द करना

**3844. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय का विचार उत्तर कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत स्टेशन से आबंटन को छोड़कर, ओडिशा के बाहर अवस्थित आगामी एनटीपीसी स्टेशनों से आबंटित विद्युत के आबंटन रद्द करने हेतु अधिसूचित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर एनटीपीसी ने अपने लाभार्थी राज्यों के लाभ के लिए विद्युत स्टेशन चालू किए हैं। तदनुसार ओडिशा सहित राज्यों और एनटीपीसी के बीच विद्युत क्रय-करार हस्ताक्षरित हुए हैं।

ओडिशा सरकार ने दिनांक 28 जून, 2014 के पत्र के तहत राज्य से बाहर स्थित एनटीपीसी स्टेशनों की विद्युत वापस कर दी है। विद्युत प्राप्त करने के लिए ओडिशा सरकार का अनुरोध सभी राज्यों को भेज दिया गया था तथा पत्र विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इच्छुक राज्य इस प्रकार की विद्युत प्राप्त करने के लिए सहमति दे दें।

सीईआरसी विनियमों के अनुसार वापस की गई विद्युत अन्य लाभार्थियों को, यदि वे इस प्रकार की विद्युत प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, आबंटित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर ओडिशा द्वारा न्यू नबी नगर यूनिट 1 की वापस की गई 155 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई। अन्य केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की ओडिशा द्वारा वापस की गई विद्युत प्राप्त करने के लिए दूसरे लाभार्थी राज्यों का कोई अनुरोध वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3868

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

बिजली नहीं आने पर अर्थदंड

3868. श्री कमल नाथ:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि देश के किसी भी भाग में बिजली नहीं आने पर विद्युत वितरण कंपनियों या डिस्कॉम को अर्थदंड देना पड़ेगा;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या किसी भी विद्युत वितरण कंपनी के कुल पारेषण और वाणिज्यिक हानि (एटी और सी) के दावों की भरपाई नहीं की जाएगी;
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) केंद्र सरकार की नई विद्युत नीति का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रेरिफ नीति, 2016 के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रारूप में उपयुक्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं अथवा तकनीकी चूकों के कारण बिजली बंद होने को छोड़कर, विद्युत की कटौती के लिए वितरण कंपनियों पर दंड लगाने के लिए प्रावधान शामिल किया है। ट्रेरिफ नीति के संशोधन प्रारूप में यह विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग 31.03.2019 के पश्चात प्रशुल्क के निर्धारण के लिए एटीएंडसी हानि जो 15 प्रतिशत से अधिक हो, पर विचार नहीं करेंगे।

टैरिफ नीति के प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। विभिन्न पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3868 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

### **प्रशुल्क नीति में प्रस्तावित संशोधन**

प्रस्तावित नीति में प्रस्तावित संशोधनों में विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। यह सभी उपभोक्ताओं को 24X7 निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करने, प्रचालन एवं वितरण व्यापार में कुशलता में सुधार लाने, कानूनी परिवर्तन वाले प्रावधानों को क्रियान्वित करने में सामने आ रही कुछ बाधाओं से निपटने, खुली पहुँच, अनुपालन एवं संबंधित पहलुओं, तत्संबंधी मुद्दों, प्रशुल्क श्रेणियों के सरलीकरण और खुदरा प्रशुल्क युक्तिकरण सहित प्रशुल्क डिजाइन संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है।

कुछ मुख्य प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- उपभोक्ताओं से डिस्कॉम की अकुशलता का मूल्य चुकाने को ना कहा जाए, अतएव 15% से अधिक एटीएंडसी हानियों को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जाएगा और इसका वहन डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।
- मार्च, 2019 तक अथवा उसके पहले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत की 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अप्रत्याशित घटना की स्थितियों में अथवा तकनीकी दोष के अलावा बिजली की कटौती के मामले में एसईआरसी द्वारा यथानिर्धारित, वितरण कंपनी पर उचित अर्थदंड लगाया जाएगा और इसे संबंधित उपभोक्ताओं के खाते में अंतरित किया जाएगा।
- वितरण लाइसेंसों के मानकों में आपूर्ति की निरंतरता एवं विश्वसनीयता, आपूर्ति गुणवत्ता, कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटाने/कनेक्टेड लोड को बढ़ाने अथवा घटाने के आवेदन में और आपूर्ति में बाधा की शिकायतों के निपटान हेतु समय-सीमा शामिल होगी।
- किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को सब्सिडी डायरेक्ट बेंनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी अर्थात् सीधे ऐसे उपभोक्ता के बैंक खाते में अंतरित की जाए।
- उचित आयोग सुनिश्चित करेगा कि क्रॉस सब्सिडी कम की जाए और सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 01 अप्रैल, 2019 से अथवा उससे पूर्व प्रभाव से प्रशुल्क आपूर्ति की औसत लागत के  $\pm 20\%$  के भीतर लाया जाए।
- प्रशुल्क श्रेणियों का सरलीकरण तथा खुदरा प्रशुल्क का युक्तिकरण।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त-उप्रावधान-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3869

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

ट्रांसफार्मरों के जलने के कारण हानियां

**3869. श्री जय प्रकाश नारायण यादव:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों में विद्युत ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण वित्तीय घाटे का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' पर आधारित ऑनलाइन विद्युत ट्रांसफार्मर निगरानी प्रणाली के उपयोग द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर को बचाने के साथ-साथ ऐसी हानियों को न्यूनतम करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने का दायित्व संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का है, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मरों की दक्ष कार्य प्रणाली अपेक्षित है। डिस्कॉमों के निष्पादन की निगरानी संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा की जाती है और उन्होंने डिस्कॉमों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जले हुए/ठीक काम नहीं कर रहे वितरण ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए समय-सीमा भी शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों के ठीक ढंग से काम न करने के कारण हुई वित्तीय हानियों की केंद्र स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार सभी ट्रांसफार्मरों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपकरण लगाने सहित सभी सुरक्षा उपाय का पालन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वैद्युत संयंत्रों और वैद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानकों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियम में सब-स्टेशनों और 132 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के स्विच यार्ड उपकरणों की कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए प्रावधान है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) टेक्नोलॉजी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3889

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

बिहार में विद्युतीकरण

3889. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के शिवहर जिले में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त जिले के कितने गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है; और

(ग) उक्त जिले के सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.04.2018 को शिवहर जिले के गांवों सहित बिहार में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3900

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एनटीपीसी की नई योजना

3900. श्री जी. हरि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों को अपनी वर्तमान अनुबंधित आपूर्ति बाध्यता को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण की अनुमति देने की नई योजना से कार्यान्वयन करने वाले बिजली संयंत्रों को इक्विटी दर 100-200 बेसिस पाइंट तक प्रतिलाभ बढ़ा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी जैसी कंपनियों जिनके पास कोयला प्रधान पोर्टफोलियो है, को इससे लाभ होगा क्योंकि वह प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित खतरे से बच जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एनटीपीसी को इस कदम से अधिक लाभ होगा क्योंकि इसके अधिकतर विद्युत क्रय करार अधिलागत आधार पर हैं जबकि इसके विपरीत निजी क्षेत्र के इसके समकक्षों मुख्य रूप से प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली को चुना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने उत्सर्जन कम करने के लिए थर्मल पावर स्टेशनों के उत्पादन एवं शेड्यूलिंग में लचीलापन प्रदान करने के लिए 05 अप्रैल, 2018 को एक स्कीम जारी की है जो थर्मल उत्पादन कंपनियों को मौजूदा अनुबंधों के अंतर्गत थर्मल स्टेशनों से अपने आपूर्ति उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का उपयोग करने में समर्थ बनाएगी। यह स्कीम उत्पादन कंपनियों के लिए वैकल्पिक है और यदि व्यवहार्य पाई जाती है तो उनके द्वारा उपयोग की जा सकती है। स्कीम के अनुसार, ऐसी आपूर्ति से प्राप्त निवल लाभ को

उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इस स्कीम के कारण किसी भी उत्पादन कंपनी को लाभ कारकों जैसे कि आरई की क्षमता जिसे स्कीम के अंतर्गत जोड़ा जाता है और आरई विद्युत की दर पर निर्भर करेगा।

**(ख) :** वर्तमान में, डिस्कॉमों द्वारा किया गया कोई भी नई नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत करार प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी भी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से इस स्कीम के लिए आरई विद्युत का स्रोत कराने का इरादा रखती है। यह स्कीम विद्युत उत्पादकों को आरई स्रोतों से उत्पादन का इष्टतम उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगी, उत्सर्जन कम करने में सहायता करेगी और आरई क्षमता अभिवृद्धि को सुकर बनाएगी।

**(ग) और (घ) :** इस समय यह स्कीम विद्युत अधिनियम की धारा 62 के अधीन विकसित की गई/विकसित की जा रही थर्मल परियोजनाओं पर ही लागू है। इसलिए, यह स्कीम सभी परियोजनाओं- एनटीपीसी परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के आईपीपी दोनों पर जिनका टैरिफ विद्युत अधिनियम की धारा 62 के अधीन विनियमित होता है, समान रूप से लागू होती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3901

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा शोधित मल जल

**3901. श्रीमती के. मरगथम:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एन.टी.पी.सी. ने उपचारित मल-जल का उपयोग करने के लिए संपूर्ण देश में अपने ताप-विद्युत संयंत्रों हेतु अनेक प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एन.टी.पी.सी. नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से सतत पर्यावरण संरक्षण के लिए अति सक्रिय है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। एनटीपीसी ने अपने दादरी और सोलापुर सुपर थर्मल पावर संयंत्र में क्रमशः 80 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) और 52 एमएलडी ट्रीटड सीवेज वाटर का उपयोग करने के लिए नोएडा और सोलापुर नगर निगम के साथ करार हस्ताक्षरित किया है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए एनटीपीसी द्वारा अग्रसक्रिय उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- छोटे-छोटे कणों के उत्सर्जन को रोकने के लिए हाई एफिशिएंसी इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)।
- भावी परियोजनाओं में अधिक एफिशिएंट अल्ट्रा सुपर/सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपनाना।
- विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा/जल विद्युत आधारित टेक्नोलॉजी को अपनाना।
- वास्तविक समय आधार पर उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली।
- फ्लाई ऐश का निपटान करने के लिए वाटर एफिशिएंट हाई कोनसेंट्रेटेड स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी) प्रणाली।
- 34 लाख पौधे लगाए गए (लगभग)।
- SO<sub>2</sub> उत्सर्जन कम करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फरिजेशन (एफजीडी) प्रणाली की स्थापना।
- फुजिटिव डस्ट उत्सर्जन को कम करने के लिए डस्ट एक्सट्रैक्शन/सेपरेशन सिस्टम।
- NO<sub>x</sub> उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लो NO<sub>x</sub> बर्नर।
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) हासिल करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)/इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सहित इफ्लूएंट प्रबंधन स्कीम।
- जल संरक्षण के लिए एसीसी (एयर कूल्ड कंडेसर) आधारित तकनीकी को अपनाना।
- फुजिटिव उत्सर्जन को रोकने के लिए संयंत्रों के भीतर और चारों तरफ ग्रीन बेल्ट का विकास करना।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3905

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण

3905. श्री देवेन्द्र सिंह भोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने गांव शेष हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं किया गया है;
- (ख) उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण हेतु शेष गांवों का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा वहां कब तक विद्युतीकरण कार्य पूरा किए जाने की संभावना है;
- (ग) उत्तर प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के कितने लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है; और
- (घ) गत दो वर्षों के दौरान कानपुर शहर और देहात के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और बीपीएल श्रेणी के कितने लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, विगत दो वर्षों अर्थात 2016-17 से 2017-18 के दौरान 9751 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सभी आवासित जनगणना गांवों का 28.04.2018 को विद्युतीकरण हो गया है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में 30.06.2018 तक 32.36 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को समेकित रूप से निःशुल्क विद्युत के सर्विस कनेक्शन दे दिए गए हैं।

(घ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 को कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले में कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव नहीं था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विगत दो वर्षों अर्थात 2016-17 से 2017-18 के दौरान कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले में क्रमशः 2113 एवं 2366 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के सर्विस कनेक्शन जारी किए गए थे।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3905 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विद्युतीकरण**

क्रम सं.	राज्य	2016-17	2017-18
1	अरुणाचल प्रदेश	175	854
2	असम	1,218	572
3	बिहार	556	332
4	छत्तीसगढ़	294	348
5	हिमाचल प्रदेश	27	-
6	जम्मू एवं कश्मीर	5	35
7	झारखंड	1,104	613
8	कर्नाटक	14	25
9	मध्य प्रदेश	159	44
10	मणिपुर	121	77
11	मेघालय	681	218
12	मिजोरम	24	14
13	नागालैंड	76	2
14	ओडिशा	1,092	544
15	राजस्थान	263	1
16	त्रिपुरा	17	-
17	उत्तर प्रदेश	162	9
18	उत्तराखंड	18	43
19	पश्चिम बंगाल	9	5
	कुल	6,015	3,736

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3907

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

शेष गांवों का विद्युतीकरण

3907. श्री आर. धुवनारायणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इस वर्ष के अंत तक शेष गांवों को विद्युत प्रदान करने की क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस वर्ष के अंत तक शेष 2.67 करोड़ गांवों को विद्युत प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार देश में सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराके सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ शुरू की है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो कि देश में लगभग 170 गीगावाट की वर्तमान व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यद्यपि, मांग के भावी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से वर्ष 2018-19 के लिए 8106.05 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत संस्थापित क्षमता लक्ष्य 175 गीगावाट है।

\*\*\*\*\*